NRI कोटा और शिक्षा

[**स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स**]

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने पंजाब सरकार के उस निर्णय की निंदा की जिसमें उसने मेडिकल कॉलेजों में[अनिवासी भारतीयों (NRI)] **कोटा (15%) को बढ़ाकर** , उनके दूर के रिश्तेदारों जैसे **चाचा, चाची और चचेरे भाई-बहनों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया था।**

- सर्वोच्च न्यायालय ने [NRI कोटे] **के विस्तार को एक "धोखाधड़ी" बताया,** जो **योग्यता-आधारित प्रवेश को कमज़ोर करता है तथा इसे एक "पैसा कमाने की रणनीति"** कहा, जो कम योग्य उम्मीदवारों को योग्यता के बजाय **धन और संबंधों** के आधार पर प्रवेश पाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ***[illegible], 2005 [illegible], जिसमें NRI कोटे के दुरुपयोग को रोकने*** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था ।
  - हालाँकि, **NRI उम्मीदवारों की इसी प्रकार की व्यापक परिभाषा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश** जैसे अन्य राज्यों में भी अपनाई गई थी ।
- NRI कोटा **NRI, [PIO] और [OCI] को** प्रवेश पाने की अनुमति प्रदान करता है, अक्सर इसके लिये निवासियों को **प्रवेश परीक्षा देने** की आवश्यकता **नहीं होती है।**
  - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTI) NRI छात्रों को**तकनीकी संस्थानों में 5% तक प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया** के अनुसार यह सीमा **मेडिकल संस्थानों में 15% है।**
- NRI से तात्पर्य ऐसे **भारतीय नागरिक से है** जो एक वित्तीय वर्ष में **182 दिन भारत से बाहर रहता है ।**

और पढ़ें: [भारत के विदेशी नागरिकों के अधिकार]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nri-quota-expansion-undermines-education